



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230078
CG-DL-E-01102021-230078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3699]
No. 3699]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 4033(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2662(अ) तारीख 18 जून, 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 2468 तारीख 01 जुलाई, 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : क्रिष्णागिरि		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	क्रिष्णागिरि	कात्रिकोंडा	571	00	09
2			546(रास्ता)	00	05
3			535	00	04
4			637/5	00	02
5			644	00	05
6			576/3	00	10
7	क्रिष्णागिरि	चित्याला	396/2E	00	05
8			768/2	00	10
9			730	00	03
10			762/1	00	03
11			401/1	00	06
12			437/B	00	02
13			442	00	03
14			375	00	01

15			374	00	02
16			483	00	01
17			479	00	09
18			476/2	00	03
19			498/2	00	11
20			501/2	00	16
21			502/1	00	15
22			522	00	09
23			519/2	00	03
24			519/1B	00	03
25			516	00	04
26			632	00	05
27			630	00	06
28			629	00	01
29			627/B	00	02
30			625	00	12
31			619/B	00	12
32			801/1	00	04
33	क्रिष्णागिरि	कंबालापाडु	242	00	01
34			253	00	03
35			262	00	04
36			802/B	00	08
37			542/F	00	02
38			540	00	01
39			526	00	05
40			525	00	07
41			515	00	08
42			513A	00	12

43			829	00	40
44			828	00	03
45			822/2	00	03
46			513/B	00	03
47			426	00	01
48	क्रिष्णागिरि	क्रिष्णागिरि	412A	00	05
49			573	00	35
50			576	00	05
51			594	00	08
52			33	00	04
53			25	00	01
54			23	00	02
55			22	00	08
56			16	00	32
57	क्रिष्णागिरि	एरागुडीईनाम	118	00	04
58			97/4	00	01
59			93	00	15
60			89/1	00	05
61			81	00	01
मंडल : कोडुमुर		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोडुमुर	लद्दागीरी	777/B	00	09
2			708	00	03
3			623/1C1	00	01
4			609	00	04
5	कोडुमुर	एरादोड्डी	99	00	15

6			99(कच्चा रास्ता)	00	03
7			97	00	01
8			96	00	02
9			68	00	01
10			77	00	07
11			76(कच्चा रास्ता)	00	02
12	कोडुमुर	अनुगोंडा	191	00	07
13			193	00	05
14			174	00	03
15			167	00	03
16			61	00	03
17			68	00	02
18			71	00	01

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार,अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 4033(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.2662 (E) dated 18th June, 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 2468 dated the 01st July, 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL);

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 01 August, 2021.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the

Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Krishnagiri		Dist : Kurnool		State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Krishnagiri	Katarikonda	571	00	09
2			546(Road)	00	05
3			535	00	04
4			637/5	00	02
5			644	00	05
6			576/3	00	10
7	Krishnagiri	Chityala	396/2E	00	05
8			768/2	00	10
9			730	00	03
10			762/1	00	03
11			401/1	00	06
12			437/B	00	02
13			442	00	03
14			375	00	01
15			374	00	02
16			483	00	01
17			479	00	09
18			476/2	00	03
19			498/2	00	11
20			501/2	00	16
21			502/1	00	15

22			522	00	09
23			519/2	00	03
24			519/1B	00	03
25			516	00	04
26			632	00	05
27			630	00	06
28			629	00	01
29			627/B	00	02
30			625	00	12
31			619/B	00	12
32			801/1	00	04
33	Krishnagiri	Kambalapadu	242	00	01
34			253	00	03
35			262	00	04
36			802/B	00	08
37			542/F	00	02
38			540	00	01
39			526	00	05
40			525	00	07
41			515	00	08
42			513A	00	12
43			829	00	40
44			828	00	03
45			822/2	00	03
46			513/B	00	03
47			426	00	01
48	Krishnagiri	Krishnagiri	412A	00	05
49			573	00	35
50			576	00	05

51			594	00	08
52			33	00	04
53			25	00	01
54			23	00	02
55			22	00	08
56			16	00	32
57	Krishnagiri	Yerragudi Inam	118	00	04
58			97/4	00	01
59			93	00	15
60			89/1	00	05
61			81	00	01
Mandal : Kodumur		Dist : Kurnool		State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kodumur	Laddagiri	777/B	00	09
2			708	00	03
3			623/1C1	00	01
4			609	00	04
5	Kodumur	Yerradoddi	99	00	15
6			99(Cart track)	00	03
7			97	00	01
8			96	00	02
9			68	00	01
10			77	00	07
11			76(Cart track)	00	02
12	Kodumur	Anugonda	191	00	07
13			193	00	05
14			174	00	03

15			167	00	03
16			61	00	03
17			68	00	02
18			71	00	01

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.